

शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

विकास योजना का मुख्य उद्देश्य मानव विकास या सामाजिक कल्याण में वृद्धि और लोगों की भलाई करना है। विकासशील तथा उभरती हुई अर्थव्यवस्था में सामाजिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सामाजिक क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

मौलिक शिक्षा

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को नकद प्रोत्साहन योजना

5.2 इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में ऐसे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक मार्ग प्रशस्त करना है। यह योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ड्रॉप आउट दर को भी कम करती है और ऐसे परिवारों के विद्यार्थियों के कल्याण को दर्शाती है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में स्टेशनरी का सामान जैसे—ज्योमैट्री बाक्स, रंगीन पेंसिल, इत्यादि खरीदने के लिए वर्ष में एक बार नकद प्रोत्साहन राशि 740 रुपये से 1,250 रुपये तक विभिन्न दर से प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 9,000 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 4,73,391 विद्यार्थियों के लिए 4,979.83 लाख रुपये खर्च राशि किये गये और वर्ष 2022-23 के सशोधित बजट 6,500 लाख रुपये में से अब तक 4,429.54 लाख रुपये 4,26,647 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करना

5.3 इस स्कीम के तहत मासिक भत्ता सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए विद्यार्थियों के बैंक खातों में

बैंक के माध्यम से सीधे वितरित किया जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को 12 मास के लिए मासिक वजीफा प्रदान किया जाता है और निम्न दरों पर 4 त्रैमासिक किश्तों में 1 से 5 कक्षा के छात्र को 150 रुपये एवम छात्राओं को 225 रुपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते हैं तथा 6वीं से 8वीं कक्षा के छात्र को 200 रुपये एवम छात्राओं को 300 रुपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 20,000 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 4,31,174 विद्यार्थियों के लिए 9,344.04 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है और वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट 16,000 लाख रुपये में से अब तक 13,289.95 लाख रुपये 5,62,113 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ रहे बी.पी.एल. तथा बी.सी.-ए वर्ग के विद्यार्थियों को मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करना

5.4 इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के बी.पी.एल. और बी.सी.-ए वर्ग परिवारों के विद्यार्थियों को शैक्षिक मार्ग प्रदान करना है। साथ ही बी.पी.एल. और बी.सी.-ए वर्ग के कल्याण के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश और प्रतिधारण को बढ़ाना है। हरियाणा के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति सभी बी.पी.एल. और बी.सी.-ए वर्ग को 12 महीने के लिए प्रदान की जाती है, जो

तिमाही किस्त पर वितरित की जाती है। सरकारी विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के छात्र को 75 रुपये एवम छात्रा को 150 रुपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते हैं तथा 6 से 8वीं कक्षा के छात्र को 100 रुपये एवं छात्रा को 200 रुपये प्रतिमास की दर से प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत बी.पी.एल. के लिए वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 550 लाख रुपये है, जिसमें से अब तक 14,680 विद्यार्थियों के लिए 214.98 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022-23 के सशोधित बजट 500 लाख रुपये में से अब तक 304.64 लाख रुपये 21,946 बी.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 7500 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 2,00,682 विद्यार्थियों के लिए 2,720.10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022-23 के सशोधित बजट 5,000 लाख रुपये में से अब तक 4,407.30 लाख रुपये 3,16,405 बी.सी.-ए विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा छठी से आठवीं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना

5.5 इस स्कीम के अन्तर्गत कक्षा 6वीं से 8वीं तक के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है इसके तहत कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 750 रुपये की दर से वर्ष में एक बार छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किए जाते हैं, बशर्त कि ऐसे विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक मिले हों। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 300 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 16,810 विद्यार्थियों के लिए 126.08 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022-23 के दौरान कुल बजट 190 लाख रुपये में से अब तक 104.74 लाख रुपये 13,965 विद्यार्थियों के लिए खर्च किये गये।

कक्षा-6वीं में पढ़ रहे अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना

5.6 इस स्कीम का उद्देश्य हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति वर्ग के केवल उन विद्यार्थियों को साइकिल प्रदान करना है, जिनके गांव में (सरकारी मिडल स्कूल न हो) दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता हो। स्कीम के दिशानिर्देशों अनुसार विद्यार्थी पहले साइकिल खरीदेंगे। सम्बन्धित मुख्य अध्यापक/प्रिंसिपल द्वारा नए खरीदे गये साइकिल के बिलों का निरीक्षण और सत्यापन करने उपरान्त, बिल सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा 2,800 रुपये वाली साइकिल का साइज (20 इंच), 3,000 रुपये वाली साइकिल का साइज (22 इंच) सम्बन्धित विद्यार्थियों के बैंक खातों में डी.बी.टी. प्रणाली के माध्यम से राशि सीधे जमा की जाएगी। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का सशोधित बजट 460 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 11,689 विद्यार्थियों के लिए 339.06 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और वर्ष 2022-23 में कुल बजट प्रावधान 250 लाख रुपये रखा गया है।

कक्षा-6वीं से 8वीं में पढ़ रहे मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति स्कीम

5.7 मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से हरियाणा राज्य में 6वीं से 8वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए विशुद्ध रूप से योग्यता आधारित छात्रवृत्ति की उपलब्धता बढ़ाने हेतु तैयार किया गया है। इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, छात्रवृत्ति को प्रेरणादायी बनाना और विद्यार्थियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है, इसके

अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्ति में वृद्धि करना साथ ही उन्हें यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। इस योजना के तहत लगभग 4,500 विद्यार्थी शामिल हैं। मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के बाद

पोर्टल पर खुलेंगे। स्कॉलरशिप के लिए 6वीं कक्षा में विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग विवरण तालिका 5.1 में दर्शायी गई हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रावधान 160 लाख रुपये रखा गया है।

तालिका 5.1—स्कॉलरशिप के लिए 6वीं कक्षा में विद्यार्थियों की शॉर्ट लिस्ट

कक्षा	छात्र चयन मापदण्ड	छात्रवृत्ति का विवरण	छात्रवृत्ति की संख्या	(प्रति वर्ष) राशि रूपयें में
कक्षा 6वीं	शॉर्ट लिस्टिंग 2 चरणों में होगी स्टेज I- कक्षा 5वीं में एस.ए.टी. स्कोर के आधार पर स्टेज II- स्टेज-I क्लियर करने वाले छात्र हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे और शीर्ष 1500 रैंकर्स को छात्रवृत्ति प्राप्त होगी।	जो छात्र छात्रवृत्ति परीक्षा में शीर्ष 1,500 विद्यार्थियों में रैंक प्राप्त करते हैं, वे इसे 3 साल के लिए प्राप्त करेंगे— 6वीं से 8वीं तक बशर्ते वे कक्षा 6वीं और 7वीं की सैट परीक्षा में लगातार 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे।	सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500	6000 3000 1500
कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं	निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी जो a. कक्षा छठी में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और b. छठी और सातवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।		सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500 सर्वोच्च 500 अगले 500 अगले 500	6000 3000 1500 6000 3000 1500

स्रोत: मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान करना

5.8 इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत 3 जून, 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 को बनाया और अधिसूचित किया। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 800 रुपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 1,000 रुपये की दर से प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का कुल बजट 13,500 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 16,15,123 विद्यार्थियों के

लिए 14,231.41 लाख रुपये खर्च राशि किये गये और वर्ष 2022-23 में कुल बजट प्रावधान 7,000 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 8,00,196 विद्यार्थियों के लिए 6,999.90 लाख रुपये खर्च राशि किये गये।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी गैर-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टेशनरी प्रदान करना

5.9 मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ने वाले गैर-अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के तहत स्टेशनरी प्रदान करना है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 100 रुपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 150 रुपये की दर से राशि

प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का कुल बजट 1,150 लाख रुपये है जिसमें से अब तक 6,44,391 विद्यार्थियों के लिए 789.38 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

कक्षा 1 से 8वीं में पढ़ने वाले सभी गैर-अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग प्रदान करना

5.10 मौलिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से आठवीं तक में पढ़ने वाले गैर-अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधानों/नियमों के तहत स्कूल बैग प्रदान करना है। कक्षा 1 से 5वीं के विद्यार्थियों को 120 रुपये की दर से तथा कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों को 150 रुपये की दर से राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 का कुल बजट 1,250 लाख रुपये है, जिसमें से अब तक 6,26,499 विद्यार्थियों के लिए 835.05 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

मिड-डे-मील योजना

5.11 प्राथमिक शिक्षा के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम (एन.पी.एन.एस.-पी.ई.) जिसे 'मध्याह्न भोजन योजना (एम.डी.एम.एस.) के नाम से जाना जाता है, एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को तैयार गर्म भोजन परोसा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और

तालिका 5.2-वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के लिए बजट का लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2021-22	1765000	43000	1765992	23968.39
2	2022-23	1765992	38400	1662696	29234.51

स्रोत: मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

मिड-डे-मील मेन्यू में शामिल 20 व्यंजन

5.12 सभी विद्यालयों मुखियाओं को प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन और उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को

उपस्थिति में वृद्धि दर्ज करते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के पोषण स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत मुफ्त अनाज (गेहूं/चावल), प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 100 ग्राम प्रति विद्यार्थी तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 150 ग्राम प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की दर से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे प्रतिदिन ताजा भोजन तैयार कर विद्यार्थियों को विद्यालय प्रांगण में ही परोसा जाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मध्याह्न भोजन योजना की बजट राशि 38,400 लाख रुपये हैं केंद्र प्रायोजित और राज्य योजना 60:40 के यूडीआईएसई के अनुसार कुल 14,424 राजकीय विद्यालय हैं, इस बजट राशि में 16,62,696 विद्यार्थी को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा कुक-कम-हैल्पर का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये दिनांक 25-05-2022 से लागू (600 रुपये केन्द्र का भाग व 6400 रुपये राज्य का भाग) कर दिया गया है। प्रति विद्यार्थी भोजन सामाग्री की लागत (भारत सरकार के नार्म्स अनुसार)- प्राथमिक के लिए 5.45 रुपये व अप्पर प्राइमरी के लिए 8.17 रुपये दिनांक 01-10-2022 से शुरू कर दी गई है।

न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन वाले 20 व्यंजन वितरण करने के लिए कहा गया है।

सरकारी स्कूल

5.13 जिन स्कूलों की छात्र संख्या कम होने के कारण बन्द/मर्ज कर दिया गया था,

को पुनः खोलने हेतु आनॅलाईन पोर्टल का निर्माण करवाया गया है व 43 स्कूलों को पुनः खोला गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गूगो व बहरों के लिए कल्याण सोसायटी को सहायता प्राप्त अनुदान योजना के तहत 3 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। आर.टी.ई. एक्ट के तहत वर्ष 2022-23 के लिए (कार्यालय खर्च और अन्य चार्जिज) 70 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। सहायता प्राप्त अनुदान, केन्द्रीय स्कीम के लिए स्वीकृति (शेयरिंग बैसिज) का बजट 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। केन्द्रीय सहायता का बजट 145 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2022-23 में

अनुसूचित जाति के लिए बजट (शेयरिंग बैसिज) तथा स्वीकृति जारी की गई।

खेल

5.14 राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 11 व 14 आयु वर्ग के लिए वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई। खेल मैदान का विकास व खेल/मनोरजन कार्य का बजट 50 लाख रुपये निर्धारित किया गया है तथा स्वीकृति जारी की गई। कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए खेल किट व भोजन भत्ता की दरें संशोधित की गई। राष्ट्र/राज्य स्तरीय टूर्नामेंट की संशोधित दरें **तालिका 5.3** में दी गई है।

तालिका 5.3- वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्र और राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का विवरण

खिलाडियों के लिए विवरण	राष्ट्र स्तरीय टूर्नामेंट		राज्य स्तरीय टूर्नामेंट	
	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)	वर्तमान दरें (प्रतिदिन)	संशोधित दरें (प्रतिदिन)
खिलाडियों हेतु भोजन भत्ता	200 रुपये	250 रुपये	125 रुपये	200 रुपये
खेल भत्ता (ट्रेक किट/खेल की सामग्री किट)	1200 रुपये	2500 रुपये	700 रुपये	1500 रुपये
अधिकारियों हेतु भोजन भत्ता	200 रुपये	250 रुपये	125 रुपये	200 रुपये
अधिकारियों हेतु ट्रेक किट	1000 रुपये	2500 रुपये	700 रुपये	1500 रुपये

स्रोत: मौलिक शिक्षा, विभाग, हरियाणा।

भवन निर्माण एवं रख-रखाव

5.15 भवन मरम्मत 96 सरकारी प्राथमिक स्कूलों के भवन की मरम्मत हेतु कुल 39.68 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति राजकीय प्राथमिक पाठशाला/माध्यमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत व रख रखाव एवं निर्माण हेतु राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी की गई।

5.16 स्कूल भवनों के निर्माण हेतु कुल राशि 19.73 करोड़ रुपये की स्वीकृति राजकीय

प्राथमिक पाठशाला/माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् को जारी की गई।

5.17 1 से 5वीं (पूर्ण समय) कक्षा की सुविधाओं का विस्तार स्कूलों की सुंदरता के लिए मुख्यमंत्री स्कूल सौर्दयकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कुल राशि 1.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई।

समग्र शिक्षा

5.18 भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समग्र शिक्षा के तहत 1,61,857.713 रुपये (लाखों में, स्पिल ओवर

सहित) की वार्षिक कार्य योजना और बजट को मंजूरी दी है। विभिन्न गतिविधियों के लिए प्राप्त अनुदान के सम्बंध में प्रगति का विवरण **तालिका 5.4** में दर्शाई गई है।

तालिका-5.4 नामांकन का विवरण, विद्यालयों की संख्या एवं दर अनुसार अनुदान

नामांकन	विद्यालयों की संख्या	दर (रुपये में)	जारी की गई कुल राशि (लाख रुपये में)
1 to 30	1,881	10,000	1,430.75
31 to 100	5,723	25,000	2,242.50,
101 to 250	4,485	50,000	1,712.25
251 to 1000	2,283	75,000	105.00
Above 1000	105	1,00,000	188.10
Total	14,477		5.678.60

स्तोत्र:- समग्र शिक्षा अभियान, हरियाणा।

उद्देश्य

5.19 गैर-कार्यात्मक स्कूल उपकरणों को बदलने के लिए और अन्य आवर्ती लागतों जैसे उपभोग्य सामग्रियों, खेल सामग्री, खेल, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए। स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना और स्वच्छता कार्य योजना के तहत गतिविधियां शुरू करना। कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों

को सैनिटाइज करना और स्कूलों में आवश्यक सामान उपलब्ध कराना।

ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान

5.20 इस स्कीम के अन्तर्गत गतिविधि के अनुसार ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान तालिका 5.5 में दी गई है।

तालिका- 5.5 ब्लॉक संसाधन केन्द्र और क्लस्टर संसाधन केन्द्र अनुदान

क्र.सं	गतिविधि एवंम ब्लॉक संसाधन केन्द्र	भौतिक	लागत	जारी की गई राशि (रुपये लाख में)
1	बीआरसी आकस्मिकता अनुदान	119	0.50	59.50
2	बीआरसी बैठक/टीए अनुदान	119	0.30	35.70
3	बी.आर.सी टी.एल.ई/टी.एल.एम अनुदान	119	0.15	17.85
4	बी.आर.सी. रखरखाव अनुदान	119	0.15	17.85
क्लस्टर संसाधन केन्द्र				
1	सी.आर.सी. आकस्मिक अनुदान	1,415	0.25	353.75
2	सी.आर.सी. बैठक/टीए	1,415	0.15	212.25
3	सी.आर.सी. टी.एल.एम. अनुदान	1,415	0.02	28.03
4	सी.आर.सी. रखरखाव अनुदान	1,415	0.10	141.50

स्तोत्र:- समग्र शिक्षा अभियान, हरियाणा।

वर्दी अनुदान

5.21 समग्र शिक्षा के तहत, पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति के लड़कों और बीपीएल लड़कों को वर्दी प्रदान करने के लिए प्रति छात्र 600 रुपये की दर से 7,138.22 लाख रुपये

स्वीकृत किए गए हैं। परन्तु राज्य सरकार पहली से पांचवीं कक्षा के सभी छात्रों को 800 रुपये प्रति छात्र और कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए 1,000 रुपये प्रति छात्र की दर से अनुदान राशि प्रदान करती है। इस प्रकार समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत अनुदान राशि डीबीटी मोड में

सभी छात्रों को एक समान अनुदान प्रदान करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है।

स्कूल से बाहर के बच्चे (ओ.ओ.एस.सी.)

5.22 वर्ष 2022-23 में, हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में 22,841 बच्चों (6-14 वर्ष की आयु के बीच) को स्कूल से बाहर के बच्चों के रूप में चिन्हित किया गया। इनमें से 3,360 बच्चों (6-7 वर्ष) को कक्षा 1 में सीधे स्कूलों में मुख्य धारा से जोड़ा गया और समग्र शिक्षा के तहत 19,481 ओ.ओ.एस.सी. (7-14 वर्ष) को उनकी आयु अनुसार कक्षा में नामांकित करने के पश्चात स्कूलों में मुख्य धारा में लाने से पहले विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए धनराशि प्रदान की गई है। शैक्षिक स्वयंसेवकों (स्कूली शिक्षकों के बराबर योग्यता वाले) का चयन राज्य स्तर पर आयोजित ऑनलाइन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया गया है, जो इन बच्चों को 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण देने के बाद 3 महीने का अनुवर्ती सहयोग भी प्रदान कर रहे हैं। इस विशेष प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद, इन बच्चों को आयु उपयुक्त कक्षा में मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। 16-19 वर्ष आयु वर्ग के ओओएससी के लिए, मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए माध्यमिक स्तर पर 5,955 ओ.ओ.एस.सी. (जो सर्वेक्षण के दौरान पहचाने गए थे) के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। ये धनराशि जिलों को वितरित कर दी गई है और जिलों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए ओपन स्कूल परीक्षा में बैठने के लिए इन बच्चों को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सुविधा (पंचकुला के मोरनी और पिंजौर ब्लॉक और पूरे नूंह जिले के लिए)

5.23 इस गतिविधि के लिए पीएबी द्वारा बजट 343.26 लाख स्वीकृति दी गई जिसके अंतर्गत मेवात और पंचकुला जिले के 5,721 छात्र लाभार्थी लक्षित होंगे तथा योजना की अवधि में 600 रुपये प्रति छात्र प्रति माह 10 महीने के लिए, कुल रुपये 6,000 प्रति बच्चा

व्यय किया गया है और वर्तमान स्थिति डी.बी.टी. मोड (पी.एफ.एम.एस. पोर्टल पर) के माध्यम से भुगतान के लिए छात्रों की मैपिंग प्रक्रियाधीन है।

रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण (लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण)

5.24 इस स्कीम के अन्तर्गत, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी) द्वारा कुल 610.95 लाख रुपये में से माध्यमिक स्कूलों के लिए 448.05 लाख रुपये का बजट और मौलिक स्तर के लिए 162.90 लाख का बजट अनुमोदित किया गया है जो कि 32 केजीबीवी सहित 4,047 सरकारी मौलिक और माध्यमिक विद्यालयों की 1,22,190 छात्राओं को प्रशिक्षण देने के लिए अनुमोदित किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण

5.25 35,657 माध्यमिक शिक्षकों को सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 356.57 लाख रुपये के बजट की मंजूरी दी है।

शिक्षक संस्थान

5.26 भारत सरकार द्वारा 3,193.81 रुपये का बजट एस.सी.ई.आर.टी., डाइट और बी.आई.ई.टी. में टी.ई.आई. के वेतन और अन्य गतिविधियों के लिए मंजूर किया गया एवं समग्र शिक्षा द्वारा इसे शिक्षक शिक्षा संस्थान के लिए अनुमोदित किया गया।

लर्निंग कोडिंग और रोबोटिक्स

5.27 532 लाख रुपये का बजट हरियाणा राज्य के उन 266 सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए स्वीकृत किए गए हैं जहां पीजीटी, (कंप्यूटर साइंस) का पद भरा हुआ है और छात्रों की संख्या 500 या उससे अधिक हैं।

पठन प्रोत्साहन माह (कक्षा 6 से 12)

5.28 इस वर्ष के दौरान कक्षा 6-8 और 9-12 के छात्रों के लिए एक महीने के लिए पठन प्रोत्साहन माह आयोजित किया गया जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वर्तनी, विभिन्न विषयों पर वाद-विवाद जैसे विभिन्न दृष्टिकोण व तरीके शामिल हैं, शुरू किए गए। निम्नलिखित दो गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं—

- पठन संबंधी गतिविधियाँ—प्रथम सप्ताह— 21,83,400 रुपये की निधि मौलिक एवं 3,61,000 रुपये की राशि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जिलों को जारी की गई।
- स्कूल, ब्लॉक और जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं—तीन सप्ताह के लिए— 24,52,200 रुपये की राशि मौलिक और 27,03,240 रुपये की राशि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों को वितरित करने के लिए सभी जिलों को जारी की गई।

स्कूलों का ट्विनिंग कार्यक्रम (स्कूल पार्टनरशिप प्रोग्राम)

5.29 ट्विनिंग प्रोग्राम के तहत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों व निजी स्कूलों के बच्चों व स्कूलों के बीच सार सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए 67.22 लाख रुपये की राशि 3361 माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए, जिलों को जारी की गई।

नवनियुक्त बी.आर.पी. और ए.बी.आर.सी. का प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.30 4,09,620 रुपये की धनराशि 36 नव नियुक्त एबी.आर.सी. और बी.आर.पी. के शैक्षणिक समर्थन पर प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निदेशक, एस.सीई.आर. टी. को जारी किया गया।

बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग

5.31 पी.ए.बी. के अनुमोदन के अनुसार, 7.20 लाख रुपये की धनराशि स्कूलों में बाल अधिकारों के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए गतिविधियों के संबंध में सचिव, एस.सी.पी.सी.आर. को जारी की गई।

रोल मॉडल के साथ छात्राओं की सहभागिता

5.32 59.5 लाख रुपये की निधि 595 प्राथमिक विद्यालयों के लिए तथा 124.95 लाख रुपये की राशि 1,190 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं की छात्राओं को आगे बढ़ने और अपने जीवन में एक लक्ष्य रखने हेतु

प्रेरित करने के लिए मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई।

जीवन कौशल विकास शिविर (शीतकालीन शिविर)

5.33 मंत्रालय द्वारा 20.9 लाख रुपये की राशि 209 मौलिक विद्यालयों के लिए और 14.7 लाख रुपये 201 माध्यमिक विद्यालयों के लिए कक्षा 6 से 8 और 9वीं से 12वीं की छात्राओं के लिए जीवन कौशल विकास शिविर को विकसित करने के लिए शीतकालीन अवकाश में शिविर आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है।

जिला नूंह में लड़कियों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए स्कूल लर्निंग एक्सेल प्रोग्राम

5.34 इस स्कीम के अन्तर्गत 280.45 लाख रुपये की धनराशि प्रति विद्यालय 35,000 रुपये की दर से मौलिक स्तर और 82.55 लाख रुपये प्रति विद्यालय 65,000 रुपये की दर से समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार इक्विटी के लिए विशेष परियोजनाओं के तहत डी.सी. नूंह, एम.डी.ए. को जारी की गई।

छात्र कल्याण कार्यक्रम

5.35 634.93 लाख रुपये की धनराशि 11,108 मौलिक स्कूलों के लिए तथा 192.11 लाख रुपये की राशि 3,361 माध्यमिक विद्यालयों के लिए सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के चार घटकों यानी हीमोग्लोबिन, वजन, ऊंचाई, दृश्य तीक्ष्णता और दंत स्थितियों पर परीक्षण/स्क्रीनिंग के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। 05-09-2022 को हरियाणा के माननीय राज्यपाल द्वारा सेहत कार्यक्रम को शुरू किया गया है। छात्रों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को पकड़ने और डिजिटाइज करने और शिक्षकों के लिए मॉड्यूल के लिए सेहत ऐप विकसित किया गया है।

कक्षा 6वीं से 8वीं के छात्रों के लिए सीखने में वृद्धि/संवर्धन कार्यक्रम (उपचारात्मक शिक्षण)

5.36 उद्दान परियोजना एक सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम है जो एक संरचित उपचारात्मक कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को उनके सीखने के नुकसान को कवर करने के लिए सहायता

प्रदान करता है और इसे माननीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 8.31 लाख रुपये की राशि बेसलाइन सर्वेक्षण करने के लिए जिलों को जारी की गई। कक्षा 6 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम की सामग्री एससीईआरटी विषय विशेषज्ञों और समन्वयकों द्वारा विकसित की गई है। 4.95 लाख रुपये की निधि निदेशक एस.सी.ई.आर.टी. को मेंटर ओरिएंटेशन वर्कशॉप आयोजित करने के लिए जारी की गई। 11.59 लाख रुपये की राशि निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी. को सामग्री विकास और डिजाइनिंग के लिए जारी की गई।

हरियाणा राज्य प्रशिक्षण नीति-2020

5.37 राज्य सरकार की प्रशिक्षण नीति के तहत एच.आई.पी.ए., हरियाणा द्वारा प्रशिक्षित मंत्री स्तरीय कर्मचारी, ए.बी.आर.सी. और बी.आर.पी., सहायक परियोजना समन्वयक, विशेष शिक्षक सहित 2,070 कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रगति

5.38 वर्ष 2022-23 के दौरान 15 क्षेत्रों के 1,186 स्कूलों (वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2022-23 तक) में से 1,96,028 छात्रों को नामांकन व्यावसायिक शिक्षा हरियाणा में शामिल किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति

5.39 व्यावसायिक शिक्षक वर्तमान में हरियाणा में एन.एस.व्यू.एफ. के तहत काम कर रहे हैं। वर्तमान में कुल 2,033 व्यावसायिक शिक्षक कार्यरत हैं। 147 व्यावसायिक शिक्षक एच.एस.एस.पी.पी. के माध्यम से सीधे और 2,033 वी.टी. पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं (वी.टी.पी.) के माध्यम से तैनात किए गए थे और अब उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम (प्रक्रियाधीन) में लगाया जाना है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण उपकरण विवरण शैक्षणिक

5.40 सत्र 2022-23 में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं में कुल 1,96,028 विद्यार्थियों का नामांकन है। राज्य के 1,074 विद्यालयों में 2,238 कौशल प्रयोगशालाएं हैं जो उपकरणों और उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित हैं। सरकार में 09 क्षेत्रों में 50

इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन इंक्यूबेशन सेंटरों में कुल 11,249 छात्रों ने 12 दिनों का प्रशिक्षण (प्रति दिन 06 घंटे) सफलतापूर्वक पूरा किया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के 44,151 छात्रों को 5 कौशलों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए टूलकिट वितरित किए गए हैं। स्किल हब पहल कार्यक्रम 8 सेक्टरों में 125 बैचों के साथ 120 चयनित स्कूलों में शुरू किया गया है। 3,515 स्कूल से बाहर के बच्चों को उनकी आजीविका के लिए प्रशिक्षित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार 110 स्कूलों से बढ़ाकर 1,074 स्कूलों में कर दिया गया और इन स्कूलों में 90,911 बच्चों को लाभ दिया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.)

5.41 36 के.जी.बी.वी. को शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.) द्वारा अनुमोदित किया गया है। कुल 36 में से 32 के.जी.बी.वी. कार्यात्मक हैं। 13 के.जी.बी.वी. कक्षा 6 से 12 के लिए कार्यात्मक हैं (इन्हें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड किया गया है। इन के.जी.बी.वी. में कुल नामांकन 3,690 है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत प्रगति

5.42 पी.ए.बी. द्वारा 263 स्कूलों के लिए 5.26000 रुपये का कुल बजट (2,000 रुपये प्रति स्कूल) अनुमोदित है जिसके तहत कक्षा 9वीं-12वीं के लिए विज्ञान संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए, बी.आई.एस. के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में बी.आई.एस. क्लबों के संरक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, स्कूलों को प्रदान किया जाता है।

- वर्ष 2022-23 के लिए प्रारम्भिक स्तर के लिए 285.75 लाख रुपये और 336.1 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। विभिन्न स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनियों के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के भाग के रूप में विज्ञान गतिविधियों, मॉडल, रोल प्ले/ड्रामा, पोस्टर मेकिंग आदि तैयार करने और स्कूल की विज्ञान प्रयोगशालाओं के

लिए सामाग्री खरीदने के लिए धनराशि स्कूलों को हस्तांतरित की गई है।

- वर्ष 2022–23 में कक्षा 10वीं व 12वीं (विज्ञान स्ट्रीम) के विज्ञान विषय में अकादमिक रूप से मेधावी छात्रों के लिए राज्य के बाहर वैज्ञानिक महत्व वाले स्थान पर भ्रमण के लिए 11 लाख रुपये की राशि स्वीकृति दी गई है।
- 67.22 लाख रुपये का बजट 2,000 रुपये प्रति सेट की दर से. एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विज्ञान और गणित विषय में कक्षा 9वीं–10वीं के छात्रों के लिए विकसित की गई अनुकरणीय समस्याओं की पुस्तकों को उपलब्ध कराने में उपयोग किया जाता है।
- 44 लाख रुपये का बजट 880 स्कूलों के लिए (40 स्कूल प्रति जिला) उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुख द्वारा निगरानी और सलाह के तहत अनुमोदित किए गए।
- 26.08 लाख रुपये का बजट 7 विज्ञान वैन के संचालन के लिए किया जाएगा जिसके तहत वैन को मॉडल, ईंधन लागत, चालकों के वेतन आदि से लैस करना शामिल है।
- विज्ञान प्रदर्शनियों के संचालन के लिए 22 लाख रुपये का कुल बजट (1 लाख प्रति जिला की दर से) 22 जिलों को प्रदान किया जाता है।
- 'ज्योतिर्गमय' कार्यक्रम का आयोजन 23 अगस्त, 2022 को रेड बिशप, सेक्टर-1, पंचकुला में श्री कंवर पाल, माननीय शिक्षा मंत्री, हरियाणा द्वारा किया गया जिसमें 263 छात्रों को इस कार्यक्रम के तहत उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया था, जो टेक-बी प्रोग्राम के तहत अर्न एंड लर्न कोर्स के लिए एचसीएल में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे।
- कक्षा 9वीं–12वीं के छात्रों के लिए एस्पीरेशनल जिलों के 10 स्कूलों में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए पीएबी

द्वारा 100 लाख रुपये का बजट (10 लाख प्रति प्रयोगशाला) को मंजूरी दी गई है।

- कक्षा 9वीं–12वीं के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 30 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
- राज्य ने कक्षा 9वीं–12वीं के छात्रों के लिए गुरुग्राम, मेवात, पंचकुला, फरीदाबाद के स्कूलों में सुमंगल फाउंडेशन से सी.एस. आर. फंडिंग के तहत 16 टिकरिंग लैब स्थापित की हैं।

समावेशी शिक्षा

5.43 गृह आधारित भत्ता—55.98 लाख रुपये की राशि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से आठवीं कक्षा के 2,599 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 240 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 200 प्रति दिव्यांग छात्र की दर से गृह आधारित भत्ता प्रदान करने हेतु सभी जिलों को जारी कर दी गई हैं।

- **पाठक भत्ता**—63.87 लाख रुपये की राशि पहली से आठवीं कक्षा के 1,472 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 657 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 300 प्रति माह की दर से सभी जिलों के स्कूलों को पाठक भत्ता देने के लिए जारी कर की गई है।
- **एस्कॉर्ट भत्ता**—195.22 लाख रुपये की राशि पहली से आठवीं कक्षा के 7,445 दिव्यांग छात्रों और 9वीं से 12वीं कक्षा के 2,316 दिव्यांग छात्रों को 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से सभी जिलों के स्कूलों को एस्कॉर्ट अलाउंस देने के लिए जारी की गई है।
- **चिकित्सा मूल्यांकन शिविर**—सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एलिम्को, रेड क्रॉस और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से चिकित्सा मूल्यांकन शिविर आयोजित करवाने का कार्य सभी जिलों में पूरा कर लिया गया है।

- ब्रेल किताबों का प्रावधान—विभिन्न सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को ब्रेल किताबों के 114 सेट वितरित किए गए हैं।
- बड़े प्रिंट वाली पुस्तकों का प्रावधान— कक्षा 1 से 12वीं तक के कम दृष्टि वाले दिव्यांग छात्रों के लिए बड़े प्रिंट वाली किताबों के 786 सेट की छपाई के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज (विकलांगता), देहरादून को 32.50 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई है।
- सहायता और उपकरण प्रदान करना— 2,463 दिव्यांग छात्रों (पहली से आठवीं कक्षा के लिए 2,113 और 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 350) चिकित्सा मूल्यांकन शिविरों के दौरान डॉक्टरों द्वारा चिन्हित हुए दिव्यांग छात्रों को सहायता और उपकरण प्रदान करने के लिए एलिमो को 86.64 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
- खेल और प्रदर्शन यात्रा— पंचकूला में राज्य स्तरीय शीतकालीन साहसिक शिविर आयोजित करने के लिए 43.37 लाख रुपये की राशि नेशनल एडवेंचर क्लब, चंडीगढ़, हरियाणा पर्यटन और डीपीसी को हस्तांतरित की गई है।

माध्यमिक शिक्षा पेंशन स्कीम

5.44 सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 212 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि नियम, 2001 के तहत दिनांक 11-05-1998 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्कीम के तहत मानदेय दिया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 100 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ था जो राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उनकी मांग अनुसार वितरित कर दिया गया। इन स्कीमों के तहत 3,180 को पेंशन स्कीम एवं अबतक 84 कर्मचारियों को मानदेय लाभ (31-10-2022) दिया जा चुका है। जिसमें वित्त वर्ष के दौरान पेंशन के 37 एवं स्कीम के तहत करीब 35 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वांछित लाभ प्रदान किए।

राष्ट्रीय स्कूल खेल

5.45 राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्कूल खेल के लिए बजट प्रदान किया जाता है। स्कूल खेल का आयोजन ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 32 स्कूल खेल का आयोजन करवाया जाता है। यह खेल ओलंपिक स्तर, एशियाई स्तर, राष्ट्रमंडल स्तर और राज्य खेल नीति के तहत शामिल हैं।

राजकीय विद्यालयों में खेल उपकरणों की व्यवस्था व खेल मैदानों का विकास

5.46 राज्य सरकार द्वारा सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में खेल उपकरणों की खरीद और खेल के मैदान के विकास के लिए प्रत्येक जिले में संबंधित खेल के लिए प्रति वर्ष बजट उपलब्ध किया जाता है।

खेलकूद

5.47 वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 150 लाख रुपये बजट दिया गया है। परंतु अभी तक स्कूल गेम्स फ़ेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताएं करवाने हेतु वर्ष 2022-23 में खेल कैलेण्डर जारी नहीं किया गया है। अभी हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन सुचारु रूप से करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त खेल उपकरणों की खरीद तथा खेल के मैदानों के निर्माण हेतु वित्त वर्ष 2022-23 में 200 लाख रुपये का बजट दिया गया है जिसमें से सरकारी उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 112.75 लाख रुपये खेल का सामान खरीदने व मैदानों के विकास हेतु जारी किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण योजना एवं निगरानी शाखा (टी.पी.एम.सी.)

5.48 वित्त विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23, में सरकारी उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों 93.95 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। एस.सी.ई.आर.टी. एवं डी.आई.ई. टी. के माध्यम से शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया।

आरोही सैल

5.49 योजना का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इन आरोही मॉडल स्कूलों को चलाने के लिए फंडिंग पैटर्न 75:25 केंद्र राज्य के अनुपात में था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आई.सी.टी. स्कीम

5.50 योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,996 कंप्यूटर फैकल्टी और 2,184 लैब अटेंडेंट के पारिश्रमिक पर 31-10-2022 तक 30.78 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

आई.टी. सैल

5.51 विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में 4,400 अतिथि शिक्षक सहित 35,000 कर्मचारी शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किया गया है।

- वर्ष 2022-23 में साहसिक शिविर हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन माड्यूल विकसित किया गया है। इस प्रणाली द्वारा योग्यता के आधार पर प्रतिभागियों का चयन किया गया है और टिक्कर ताल और मोरनी हिल्स में साहसिक शिविर के लिए लगभग 2,303 छात्रों और 151 अनुरक्षण शिक्षकों ने सफलतापूर्वक भाग लिया।
- विभाग द्वारा ऐसी समीतियों, व्यक्तियों, कम्पनियों एवं ट्रस्टों जोकि नये प्राइवेट स्कूल खोलने की अनुमति चाहते हैं तथा उनके द्वारा स्थापित प्राइवेट स्कूल जिनको

पहले हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, को सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी. इत्यादि जैसे संस्थानों से मान्यता दिलवाना चाहते हैं और इससे अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, को ध्यान में रखते हुये आनलाईन मॉड्यूल को विकसित किया गया है। यह आनलाईन मॉड्यूल पूर्णयता: स्वसंचालित है।

- इसी तरह वर्ष 2022-23 के दौरान 8,579 नए आधार और 25,985 अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किए गए हैं।
- विभाग ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ए.सी.पी. (सुनिश्चित कैरियर प्रगति), सी.सी.एल. (चाइल्ड केयर लीव) आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए भी अपनाया है।
- चिराग योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में ई.डब्ल्यू.एस. परिवारों के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक प्रवेश देने के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों से सहमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल 'सीट घोषणा पोर्टल' विकसित किया गया है। कुल 694 विद्यालयों ने सफलतापूर्वक इस पोर्टल पर अपनी सहमति दर्ज की और इनमें से 381 विद्यालयों को इस योजना के तहत पात्र घोषित किया है और इस पोर्टल के माध्यम से चिराग योजना के तहत 1,371 प्रवेश किए गए हैं।

5.52 कार्य शाखा

- **अनावर्ती (रख-रखाव/मरम्मत/निर्माण)**— इस स्कीम में वर्ष 2022-23 के लिये 9,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा रख-रखाव/मरम्मत/ निर्माण कार्यों के लिए स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अब तक 8,200 लाख रुपये की राशि द्वारा जारी की जा चुकी है।
- **मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण स्कीम**—इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर चयनित 1 उच्च माध्यमिक तथा 1 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल को 50,000 हजार रुपये

दिए गये है। इन ब्लॉक स्तर पर चयनित स्कूलों में से एक उच्च माध्यमिक व एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चुनाव जिला स्तर पर किया जाता है जिन्हें क्रमशः 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इन जिला स्तर पर चयनित स्कूलों में से एक उच्च माध्यमिक व एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का चुनाव किया जाता है। जिन्हें क्रमशः 5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इस स्कीम में वर्ष 2022-23 के लिये 171 लाख रुपये की राशि स्कूलों को सभी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी की जा चुकी है।

- **खेल कला तथा संस्कृति**—इस स्कीम में वर्ष 2022-23 के लिये 15,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है तथा हरियाणा विद्यालयों शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला को निर्माण हेतु 16,084.32 लाख रुपये की राशि स्वीकृति दी जा चुकी है।

- **संस्कृति-01—सामान्य शिक्षा**—इस स्कीम में वर्ष 2022-23 के लिये 15,000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान करवाया गया है। स्कूल निर्माण कार्य हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा निष्पादित किया गया है।

5.53 शैक्षिक सैल

- **छात्र मूल्यांकन परीक्षण (सी.सी.ई.)**—नो-डिटेन्शन पॉलिसी की कमियों को दूर करने के लिए 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए छात्र मूल्यांकन टैस्ट शुरू किए गए। 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लगभग 6,82,000 छात्रों के साथ सैट आयोजित किया जाता है। विद्यार्थियों को आनलाईन शिक्षा प्रदान करने एवं उनकी समीक्षा के लिए अवसर ऐप को विकसित किया गया है। इस स्कीम के तहत 31-10-2022 तक लगभग 360 लाख की राशि खर्च की गयी।

- **सुपर 100**—हरियाणा के सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से उन छात्रों को आई.आई.टी./जे.ई.ई./एन.ई.ई.टी आदि परीक्षाओं में निजी

स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। यह दो जिलों—पंचकूला और रेवाड़ी में क्रमशः 116 और 115 की छात्र शक्ति के साथ चलाया जा रहा है। इस वर्ष इसे 4 जिलों में शुरू किया जाना है जिससे राजकीय विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 750 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

- **स्वच्छ प्रांगण**—इस योजना का उद्देश्य स्कूल स्तर पर सभी इको क्लब प्रभारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके मौजूदा इको क्लबों को मजबूत करना है, संबंधित स्कूलों के प्रत्येक छात्र को वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से अपने परिवेश को हरा-भरा और स्वच्छ रखने के लिए शिक्षित और प्रेरित करना है। रैलियों का आयोजन करना, छात्रों को त्योहारों और पर्यावरण दिवसों को इको-फ्रेंडली तरीके से मनाने के लिए प्रेरित करना। स्कूल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में विभिन्न कार्यक्रम जैसे पोस्टर मेकिंग, जागरूकता रैलियां और प्रदूषण मुक्त दिवाली आदि आयोजित किए जाते हैं। बाला (बिल्डिंग एज लर्निंग एड) कार्यक्रम हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में चल रहा है ताकि स्कूल की दीवारों, कक्षा की पेंटिंग के माध्यम से जिज्ञासा, अलग-अलग सोच को बढ़ावा दिया जा सके। प्रदेश में स्वच्छ प्रांगण योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 हेतु 700 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है।

- **सांस्कृतिक कार्यक्रम**—हरियाणा की आने वाली पीढ़ी के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन तंत्र को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक मूल्यां, लोक कला, विरासत और समाज के रीति-रिवाजों को मजबूत करने के लिए, स्कूल शिक्षा विभाग नृत्य, नाटक, संगीत में स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों के लिए एक प्रणाली विकसित करना चाहता है और संगीत वाद्ययंत्र, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा, भाट, बनरा जैसे विभिन्न अवसरों पर हरियाणवी गाने जो आमतौर पर समुदाय द्वारा गाए जाते हैं। हर साल सांस्कृतिक उत्सव के तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम

जैसे लोक संगीत, लोक नृत्य, रागनी, सांझी मेकिंग, क्विज प्रतियोगिता, स्किट, लघु नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता, मूर्तिकला आदि का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का समारोह 'बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम' के रूप में समारोह, गणतंत्र दिवस का समारोह राष्ट्र के सलाम दिव्यांग बेटी के नाम के रूप में, कला और ड्राइंग कार्यशालाओं का आयोजन, कला प्रदर्शनियों

का आयोजन, कला संग्रहालयों, दीर्घाओं का दौरा, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित कलाकारों को आमंत्रित करना, प्रतिभाओं का आयोजन इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रदेश में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 400 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है (तालिका 5.6)।

तालिका-5.6 योजनावार स्वीकृत बजट तथा व्यय का विवरण

(लाख रुपये में)

कं. स..	स्कीम का नाम	बजट की स्वीकृति	व्यय (31-10-2022 तक)
1	छात्र मूल्यांकन परीक्षण (सी.सी.ई)	500	360.73
2	साईंस प्रमोशन	5500	3.773.07
3.	संस्कृति प्रोग्राम	400	215.00
4.	सुगम शिक्षा	880	550.00
5.	स्वच्छ प्रांगण	700	328.00

स्रोत: माध्यमिक शिक्षा विभाग, हरियाणा।

6 से 12वीं कक्षाओं की छात्रों के लिए सैनटरी नैपकिन का प्रावधान

5.54 इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं व किशोरियों में मासिक धर्म स्वास्थ्य संवर्धन करना है। हरियाणा राज्य के सरकारी विद्यालयों की लगभग 7.01 लाख लड़कियाँ इस योजना के अन्तर्गत शामिल होंगी। इन सभी को 6 पैड का पैकेट प्रतिमाह दिया जाएगा।

राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

5.55 शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की आवश्यकता को महसूस करते हुए, राज्य में

नियमित सरकारी स्कूलों के अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नाम से 116 अतिरिक्त अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना की है। राज्य भर में यह स्कूल, प्रत्येक ब्लॉक और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, पहले से मौजूद 23 ऐसे संस्थानों के अलावा है। 139 'गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई) से संबद्ध किया जा रहा है।

उच्चतर शिक्षा

5.56 हमारे युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें सेवा योग्य बनाना, राज्य सरकार का एक प्रमुख रुझान है। राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली ने हाल के वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि देखी है। यह प्रवृत्ति अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहने के आसार है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा में क्षमता और गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने के लिए कई उपाय किये हैं। उच्च शिक्षा में प्रवेश, गुणवत्ता, निष्पक्षता और स्थिरता मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिस पर राज्य सरकार का दृष्टिकोण आधारित

है। हरियाणा में उच्च शिक्षा का दृष्टिकोण राज्य की मानव संसाधन क्षमता की निष्पक्षता और समावेशन के साथ पूर्ण रूप से महसूस करना है।

5.57 इस वर्ष के दौरान राजकीय महाविद्यालय कुराल, कदमा (भिवानी), पटौदी (गुरुग्राम), निगदु (करनाल) नामक 4 नये राजकीय महाविद्यालय शुरु किए गये हैं। कुल 177 राजकीय महाविद्यालयों में से 61 महाविद्यालय विशेष रूप से लड़कियों के लिए हैं। विभाग लड़कियों के लिए विशेष रूप से अधिक राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए

प्रतिबद्ध है ताकि उच्चतर शिक्षा अधिक से अधिक लड़कियों की पहुंच तक सुनिश्चित की जा सके। सरकारी सहायता प्राप्त 97 महाविद्यालय निजी तौर पर संचालित हैं, जिनमें से 35 कॉलेज लड़कियों के लिए हैं।

5.58 उच्चतर शिक्षा विभाग महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लैंगिक संवेदनशील वातावरण बनाना चाहता है। हरियाणा सरकार ने सरकार स्वामित्व वालों और संचालित डिग्री कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के विस्तृत ढांचे के निर्माण में भारी संसाधनों का निवेश किया है साथ ही हमारे सामयिक और सक्रिय राज्य के हस्तक्षेप ने निजी क्षेत्र को हमारे भागीदार बनाने और सभी नागरिकों में शिक्षा फैलाने में सहयोग देने के लिए साझेदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। राज्य के सभी कोनों में सभी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सरकार

द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गईं।

5.59 उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय, अराजकीय एवं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालयों में ऑनलाईन दाखिले किए गये। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 1,39,730 नए दाखिले किए गये। राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों का डाटा बेस तैयार किया गया तथा इसे वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया। राज्य सरकार का ध्यान डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की नियुक्तियों में वृद्धि करने के लिए पूरी तरह केन्द्रित है। इसके अलावा विद्यार्थियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। राज्य सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्लेसमेंट सैल के लिए 30 लाख रुपये, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के लिए 6 करोड़ रुपये और आई.टी. योजना के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

तकनीकी शिक्षा

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निपट)

5.60 राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निपट) सैक्टर-23, पंचकुला, कपड़ा मन्त्रालय, भारत सरकार के सहयोग से स्थापना की जा रही हैं। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निपट) पंचकुला हरियाणा में निर्माण कार्य माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उदघाटन 12-07-2022 पूरा किया गया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निपट) पंचकुला के निर्माण के लिए 114.29 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किये गये हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.)

5.61 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना गांव किलोहड, जिला सोनीपत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है, जिसकी अतिथि कक्षाएं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र के परिसर

में शैक्षिक सत्र 2014-15 से शुरू की गई थी। शैक्षिक सत्र 2019-20 से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रथम वर्ष की कक्षाएं राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत में शुरू की गई हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए भूमि की कीमत की ऐवज में चौथी किश्त के रूप में 579.83 लाख रुपये ग्राम पंचायत, किलोहड (सोनीपत) को जारी किये गये। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आई.आई.आई.टी., सोनीपत के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

असेवित/अल्सेवित जिलों में नये पॉलिटेक्निक की स्थापना

5.62 राज्य में 7 नये राजकीय बहुतकनीकी संस्थान एम.एच.आर.डी., भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक बहुतकनीकी संस्थान की स्थापना हेतु 12.30 करोड़ रुपये (8 करोड़ रुपये भवन

निर्माण तथा 4.30 करोड़ रुपये साजो-सामान) की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 114.29 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता राशि के रूप में प्रदान किये गये हैं तथा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं।

मौजूदा बहुतकनीकियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण (100 प्रतिशत सीएसएस)

5.63 12 सरकारी बहुतकनीकियों को एम.एच.आर.डी/एम.एस.डी.ई., भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा बहुतकनीकियों का अपग्रेडेशन नाम से कवर किया गया है, जिसमें 200 लाख रुपये (प्रति बहुतकनीकी)एम.एच.आर.डी. द्वारा बहुतकनीकियों की प्रयोगशाला एवं कार्यशाला को अपग्रेड करने के लिए मशीनों एवं उपकरणों तथा कम्प्यूटर सिस्टम आदि की खरीद के लिए रखा गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम.एच.आर.डी. की समिति ने 12 बहुतकनीकियों के लिए 2,235 लाख रुपये (2014-15) अनुमोदित किये हैं। अब तक 1,481 लाख रुपये जारी किये हैं जिसमें से लगभग 1,150 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और बकाया राशि को मशीनों एवं उपकरणों की खरीद हेतु उपयोग किया जायेगा।

अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफ्त पुस्तकों की आपूर्ति

5.64 इस स्कीम के तहत राज्य सरकार की योजना कवर की गई है। लाइब्रेरी में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें खरीदी जाती हैं और एस.सी. छात्रों को मुफ्त किताबें प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 100 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कम्प्यूटर लैब्स की स्थापना

5.65 वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 50 लाख रुपये का बजट प्रावधान है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के आई.टी. कौशल में सुधार के लिए कम्प्यूटर

लैब स्थापित करने के लिए कम्प्यूटर सिस्टम और सम्बन्धित वस्तुओं की खरीद की जाती है।

सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन (स्वर्ण जयंती योजना)

5.66 23 मौजूदा सरकारी बहुतकनीकियों का प्रत्यायन स्वर्ण जयंती योजना के तहत वर्ष 2016-17 से चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

पॉलिटेक्निक योजना के माध्यम से सामुदायिक विकास (सी.डी.टी.पी. योजना)

5.67 इस योजना में 16 सरकारी और सहायता प्राप्त बहुतकनीकियों में 3 से 6 महीने की अवधि के विभिन्न ट्रेडों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ परिचालित है। यह 100 प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। जब भी कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी किया जाता है, उसे संबंधित संस्थानों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कौशल विकास और उदयमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) द्वारा जारी किया जाने वाला अनुदान तय नहीं है। हर साल बजट प्रावधान अस्थायी रूप से किया जाता है। 2022-23 के दौरान लगभग 1,516 उम्मीदवारों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.)

5.68 पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं राज्य सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित और कार्यान्वित की जाती हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (एस.सी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से उनके पोस्ट मैट्रिक/माध्यमिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से आय 2.50 लाख रुपये (2013-14 से) और 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, वे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों को हरियाणा का निवासी होना चाहिए।

छात्रवृत्ति में शामिल हैं (क) रख-रखाव भत्ता (ख) विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त भत्ते (ग) सभी अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क (घ) अध्ययन यात्रा (ङ) थीसिस टाइपिंग/प्रिंटिंग

शुल्क (ढ) पत्राचार/दूरस्थ माध्यम से शिक्षा करने वाले छात्रों के लिए पुस्तक भत्ता पाठ्यक्रम, (च) बुक बैंक इत्यादि।

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

5.69 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (149 सहशिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 36 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 7 वित्तीय सहायता प्राप्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) तथा 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक व दो वर्षीय सर्टिफिकेट व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। पिछले 5 वर्षों से सरकारी व प्राइवेट आई. टी. आई. की संख्या बढ़ रही है।

5.70 वर्ष 2022-23 में 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 82,616 सीटों की क्षमता के साथ चल रहे हैं जिनमें 36 औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थान केवल महिलाओं के लिए तथा शेष सहशिक्षा संस्थान है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सभी व्यवसायों में 30 प्रतिशत सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। 192 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त 225 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 47,920 सीटों की क्षमता के साथ चलाये जा रहे हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिला प्रशिक्षणार्थियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। वर्षवार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या तालिका 5.6 में दी गई है तथा बजट प्रावधान तथा खर्च की स्थिति तालिका-5.7 में दी गई है।

तालिका-5.6 वर्ष वार राजकीय तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या

शैक्षणिक सत्र	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या	कुल
2018-19	167	242	409
2019-20	172	246	418
2020-21	172	242	414
2021-22	187	225	412
2022-23	192	225	417

स्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका-5.7 विभाग के बजट प्रावधान तथा खर्च की स्थिति

वित्त वर्ष	कुल संशोधित बजट प्रावधान (रूपये लाख में)	ऑनलाईन खर्चा (रूपये लाख में)	खर्चा प्रतिशत
2018-19	50,283.30	40,809.91	81.16
2019-20	68,603.25	57,322.08	83.56
2020-21	56,445.76	52,944.81	93.80
2021-22	48,449.19	59,287.00	122.37
2022-23	87,049.79 (पहली सप्लीमेंटरी में 187.40 करोड़ रूपये का बजट मूल बजट प्रावधान में शामिल है)	25,240.14 (31.10.2022 तक)	29.00

स्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

5.71 वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट प्रावधान 1,117.97 करोड़ (मूल बजट 867.97 करोड़ रूपये तथा अनुपूरक बजट 250 करोड़ सहित) का बजट

प्रावधान किया गया था जिसमें से 592.87 करोड़ रूपये चार्ज किए गए, परन्तु वित्त विभाग द्वारा संशोधित बजट प्रावधान 484.49 करोड़ किया गया, जोकि वित्त वर्ष के अंतिम दिन

आनलाईन किया गया। इसलिए वित्त वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा कुल खर्च की गई राशि संशोधित बजट प्रावधान से अधिक है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)

5.72 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) स्कीम के तहत, यह कार्यक्रम एक फलैंगशिप स्कीम है जिसमें 1,396 सरकारी आई.टी.आई. को अपग्रेड करना है। प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्य को अधिक उपयोगी बनाने के लिये 57 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अपग्रेडेशन हेतु 34 औद्योगिक भागीदारों द्वारा अंगीकृत किया गया है। 78 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्वायत्ता प्रदान करने के लिये 71 सोसायटियों का गठन किया गया।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम

5.73 निगम कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। निगम कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत दिनांक 13-10-2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत किया गया है। दिसम्बर, 2022 तक अनुबन्ध आधार नीति के अन्तर्गत 1.1 लाख से अधिक को निगम द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं। एच.के.आर.एन.एल. की नीति, 2022 के अनुसार लगभग 96,800 कर्मचारी विभिन्न पदों पर विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संगठनों में पहले ही कार्यग्रहण कर चुके हैं। हरियाणा कौशल रोजगार लिमिटेड तैनात संविदा जनशक्ति के लिए ई.पी.एफ., ई.एस.एल. और एल.डब्ल्यू.एफ. सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ प्रदान करने के अपने लक्ष्य में अग्रणी रहा है। दिसम्बर, 2022 तक 75,000 से अधिक तैनात जनशक्ति को ई.पी.एफ. के दायरे में लाया गया है। ई.एस.एल. योजना के 75,000 पात्र लाभार्थियों में से 55,000 को ई.एस.आई. योजना के दायरे में लाया गया है।

5.74 विकास के मुख्य बिंदु

- एम.एम.ए.पी.यू.वाई.लाभार्थी 30,000 + (180,000 से कम आय)
- महिला जनशक्ति तैनात 27,000 + (कुल तैनाती का लगभग 30 प्रतिशत)
- अनुसूचित जाति लाभार्थी 29,000
- अनुसूचित जनजाति लाभार्थी 455
- अधिसूचित जनजाति 29
- पिछडा वर्ग (अ) लाभार्थी 380
- पिछडा वर्ग (ब) लाभार्थी 270
- ऑबोर्डेड इडेंटिंग संगठन 235 +
- मातृत्व अवकाश का भुगतान—लाभार्थी 250 +
- अब तक किया गया भुगतान (ईएनआर) 800 करोड़ +

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.)

5.74 यह एक अनुदान—आधारित योजना है, जो युवाओं को रोजगार बढ़ाने के लिए 350 से अधिक कार्य भूमिकाओं में निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन प्रदान करती है। यह योजना हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा हरियाणा राज्य में लागू की जा रही है। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** में दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एन.ए.पी.एस.)

5.75 भारत में शिक्षुता को आगे बढ़ाने और सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2016 में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना शुरू की गई। हरियाणा राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न अभिनव पहल करके देश में एक अग्रणी भूमिका निभाई है और वर्ष 2017 में देश में राज्य जनसंख्या के प्रति लाख में 76 अप्रेंटिस के उच्चतम अनुपात की उपलब्धि पर भारत सरकार से 'चैंपियन ऑफ चेंज' अवार्ड जीता है। वर्ष वार शिक्षुता की स्थिति का विवरण **तालिका 5.9** में दिया गया है।

तालिका- 5.8 वर्ष 2022-23 के दौरान पी.एम.के.वी.वाई. की स्थिति

योजना का नाम	धटक का नाम	लक्ष्य	नमांकित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रमाणित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	नियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
युवाओं की स्कीलिंग, अप-स्कीलिंग का मूल्यांकन करने बारे। (सूर्या योजना)	लघु अवधि प्रशिक्षण (एस.टी.टी.)	38,830	33,865	25,985	19,022	6,101
	पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर.पी.एल)	75,200	255	255	48	शून्य
	भारी मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण (एच.एम.वी.डी.टी)	22,164	13,906	शून्य

स्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका- 5.9 वर्षवार अप्रेंटिसशिप की स्थिति

वित्तीय वर्ष	नामांकित अप्रेंटिसशिप की संख्या	पोर्टल पर पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या
2016-17	17,701	1,868
2017-18	19,392	7,638
2018-19	23,831	1,511
2019-20	20,617	663
2020-21	24,571	1,244
2021-22	14,387	78
2022-23	10,806	1,071
कुल जोड़	1,31,305	14,073

स्रोत -कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली (डी.एस.टी.)

5.76 प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग की प्रासंगिक व्यवहार का प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा राज्य में दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रशिक्षणार्थियों को एक वर्ष के आई.टी. आई. पाठ्यक्रम में 3-6 महीने की अवधि का और दो वर्षों के पाठ्यक्रम में 6-12 महीनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण सम्बन्धित उद्योगों में प्रदान किया जाता है। विभाग के अन्तर्गत चल रहे 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 37 विभिन्न ट्रेडों हेतु सत्र 2022-23 और 2023-24 (1 वर्षीय व 2 वर्षीय कोर्स) में 290 व्यवसाय यूनिटों हेतु 189 उद्योगों के साथ दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली में दाखिले के लिए समझौता ज्ञापनों किए गए।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.)

5.77 राजकीय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान, रोहतक में पहली बार अगस्त, 2015 में कार्य आरम्भ करने पर 3 ट्रेडों में प्रवेश किए

गए। इस संस्थान में कुल क्षमता 300 है। विश्व बैंक द्वारा आई.टी.ओ.टी. स्थापित करने के लिए प्रदान की गई सारी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है और अब राज्य योजना के अंतर्गत संस्थान चल रहा है।

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रशिक्षार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र स्कीम)

5.78 केन्द्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय/निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.) के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 208 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति के साथ-साथ शिक्षण शुल्क, भवन निधि, छात्र निधि, पहचान पत्र और छात्रवास शुल्क का भुगतान भी किया जा रहा है। वर्ष वार अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ का विवरण तालिका 5.10 में दिया गया है।

तालिका-5.10 में वर्ष वार अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	604.88	5,200
2020-21	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	558.13	11,011
2021-22	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – अनुसूचित जाति (केन्द्रीय स्कीम)	1,020.01	18,124

स्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका-5.11 वर्षवार अन्य पिछड़ी जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	85.64	5,627
2020-21	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	64.39	4,311
2021-22	पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशीप – पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय स्कीम)	15.02	8,250

स्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका-5.12 वर्षवार अध्यनरत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रूपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	राज्य स्कीम- एस. सी.	05.70	355
2020-21	राज्य स्कीम- एस. सी.	17.06	1,640
2021-22	राज्य स्कीम- एस. सी.	09.64	689

स्रोत – कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

अन्य पिछड़ा जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

5.79 केन्द्र प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय/निजी प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.ओ.टी.) के अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह 160 रूपये प्रति माह दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ ट्यूशन फीस की अदायगी भी की जा रही है। वर्षवार पिछड़ा जाति वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

अनुसूचित जाति के अध्यनरत प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति योजना

5.80 इस स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा राज्य द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों के अनुसूचित जातियों के अध्यनरत प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 से चलाई जा रही है जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए और एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. में जारी किये व्यवसाय में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हो। इस योजना के तहत बिना किसी आय सीमा के अनुसूचित जातियों के प्रशिक्षणार्थियों को 200 रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति व 15 रूपये ट्यूशन फीस की अदायगी की जा रही है। स्कीम के अन्तर्गत वर्षवार वितरित राशि का विवरण तालिका-5.12 में दिया गया है

गरीबी और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

5.81 कुल दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थियों में से 25 प्रतिशत को गरीबी और योग्यता के

आधार पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रयोजित एक अन्य छात्रवृत्ति स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल दाखिल हुए के 25 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को (व्यवसाय वाईज) मैरिट-कम-मीन आधार पर 200 रुपये मासिक दर के अनुसार छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थी हरियाणा राज्य का होना चाहिए और वार्षिक परिवारिक आय 2.50 लाख रुपये या इससे कम होनी चाहिये और प्रशिक्षणार्थी एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. स्कीम में जारी किये गये व्यवसायों में प्रशिक्षण ग्रहण करता हो। गरीबी और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों के लाभ का

तालिका-5.13 लाभार्थियों को दिये गये लाभ का वर्षवार विवरण

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रुपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	जी. एस.-25 प्रतिशत	09.21	954
2020-21	जी. एस.-25 प्रतिशत.	01.14	130
2021-22	जी. एस.-25 प्रतिशत	0.24	19

स्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

तालिका-5.13 वर्षवार लाभार्थियों का विवरण

वित्त वर्ष	स्कीम का नाम	वितरित राशि (रुपये लाख में)	लाभार्थियों की संख्या
2018-19	फ्री-टूल कीट	56.06	5609
2019-20	फ्री-टूल कीट	20.61	2062
2020-21	फ्री-टूल कीट	05.75	575

स्रोत-कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय

5.83 शैक्षणिक सत्र 2022-23 में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय (एस.वी.एस.यू.) ने 34 पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश की, जिसके लिए 983 सीटें आवंटित की गई हैं और विभिन्न नई धाराओं में शामिल की गई है जैसे कृषि, जापानी और जर्मन भाषा, योग, एम.एल.टी., भू सूचना विज्ञान, ए.आई., एम.एल.टी., स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग मेक्टोनिक्स, रोबोटिक्स, सोलर, किमिनल फोरेंसिक, बिजनेस एनालिटिक्स आदि। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में, 630 छात्रों के प्रशिक्षण के लिए 23 अल्पकालिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। ये कार्यक्रम वर्ष में दो

वर्षवार वितरित राशि का विवरण तालिका 5.13 में दिया गया है।

निशुल्क टूल किट योजना

5.82 कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रयोजित निशुल्क टूल किट स्कीम चलाई जा रही है। फ्री-टूल किट योजना के अन्तर्गत सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के सभी बालिका प्रशिक्षणार्थियों और अनुसूचित जाति के लड़के प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स अवधि में एक बार 1,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्षवार में लाभार्थियों का विवरण तालिका-5.14 में दिया गया है।

बार आयोजित किए जाएंगे। एस.वी.एस.यू. ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मूल्यांकन कर्ताओं का प्रशिक्षण (टी.ओ.ए.) और प्रशिक्षकों (टी.ओ.टी.) का कार्यक्रम आयोजित करके और 1,000 से अधिक मूल्यांकन कर्ताओं का एक समूह तैयार किया है और विभिन्न परियोजनाओं में शामिल करके आजीविका प्रदान की जा रही है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी द्वारा कौशल स्नातक और स्नाकोत्तर कार्यक्रम चलाने के लिए हरियाणा में 12 संस्थान/विश्वविद्यालय सत्र 2022-23 से सम्बन्धन किया गया।

5.84 विश्वविद्यालय ने कर्मचारियों के लिए परामर्श नीति विकसित की है जो अन्य शैक्षणिक संस्थानों/औद्योगिक ईकाइयों को

विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता प्रदान करने का अवसर देती है। एस.वी.एस.यू. ने विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के लिए संकाय विकास नीति तैयार और कार्यन्वित की है। एस.वी.एस.यू. ने स्थायी परिसर में जैसी सी.एन.सी. लैब, सोलर लैब, उन्नत विद्युत प्रयोगशालाएं स्थापित की है।

5.85 वर्ष 2022-23 में एस.वी.एस.यू. ने उद्योगों के सहयोग से कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में विशेषज्ञता के साथ 60 छात्रों के प्रवेश के साथ प्रौद्योगिकी में एक नया स्नातक बी.टेक. कार्यक्रम आरम्भ किया है। एस.वी.एस.यू. ने कमश योग, जापानी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ग्राफिक्स और संचार डिजाइन में डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। एस.वी.एस.यू. ने 79,000 उम्मीदवारों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यावसायिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा शिक्षण कौशल एन.एस.क्यू.एफ. के साथ संरेखण में व्यावसायिक शिक्षा का आंकलन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और 4 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।

5.86 एस.वी.एस.यू. लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग विभाग (पी.एच.ई.डी.) के साथ परियोजना कार्यान्वयन संस्था (पी.आई.ए.) के रूप में 11 जिलों में 3 कार्य भूमिका पंप ऑपरेटर सहायक इलैक्ट्रिशियन और प्लंबिंग पाइपलाइन के तहत 3,309 पी.एच.ई.डी. फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए काम कर रहा है। दिसम्बर, 2022 तक 135 लोगों को पंप ऑपरेटर जॉब रोल में प्रशिक्षित किया जा चुका है। एस.वी.एस.यू. हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ काम कर रहा है और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफ.डी.पी) के तहत 2,400 वोकेशनल टीचर्स (टी.ओ.वी.टी.) का प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। 600 व्यवसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य दिसम्बर, 2022 तक किया जा चुका है और स्कूल इनोवेटर फाउण्डेशन के तौर पर पंजीकृत किया गया।

5.87 इनोवेटिव फीडर स्कूल द्वारा माध्यमिक स्तर तक मार्च, 2027 तक नियमित

एफीलिएशन प्राप्त की। एस.वी.एस.यू. द्वारा चलाए जा रहे इनोवेटिव फीडर स्कूल को उपलब्ध 36 सीटों के मुकाबले 2022-23 में कक्षा-9 में दाखिले के लिए 420 आवेदन मिले हैं। बी.वोक के दो पूर्व छात्रों को मशरूम की खेती और जैविक/प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक उद्यमी के रूप में योगदान के लिए 05-07-2022 को हरियाणा के महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया। जर्मन भाषा में डिप्लोमा के दो छात्रों ने ईएक्सल और ड्यूश बैंक ऑफ इंडिया में क्रमशः 7 लाख व 4 लाख के पैकेज के साथ नौकरी पायी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के दो छात्रों ने गाजियाबाद में आयोजित 'राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता' के पहले दौर में भाग लिया।

5.88 विश्वविद्यालय के बी. वोक (मेक्ट्रॉनिक्स) के छात्र ने वर्ष 2022 में सलजबर्ग, ऑस्ट्रिया में आयोजित औद्योगिक नियंत्रण कौशल में विश्व कौशल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (आर. पी.एल) कार्यक्रम में सभी अन्य विश्वविद्यालयों में आर.पी.एल. को लागू करने का जिम्मा सौंपा है। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा विभाग ने नीति जारी कर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं। एस.वी.एस.यू. ने जे.बी.एन. ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा को मान्यता देने के लिए एक बड़ी परियोजना आरंभ की है। पहले चरण में, बी. वोक.. डिग्री प्रोग्राम में जे.बी.एन. डिप्लोमा प्राप्त कर्मचारियों के एक समूह को प्रवेश दिया गया है। एस.वी.एस.यू. को एकीकृत दोहरी शिक्षा मॉडल श्रेणी में 'गुड गर्वनेंस अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा 'सुशासन दिवस' के अवसर पर 25 दिसंबर 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को सम्मानित करते हुए अवार्ड प्रदान किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी

5.90 विभाग डिजिटल इण्डिया और इसके स्तम्भों के अनुरूप आईटी की विभिन्न पहल संचालित कर रहा है।

जम्मू और कश्मीर की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

5.91 सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग, हरियाणा ने श्रेष्ठ कार्य पद्धतियां, विचारों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण की प्रतिकृति के लिए एक दूसरे को समर्थन देने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर आई.टी. विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन किया ताकि आई.टी. डोमेन में आपसी हित के क्षेत्रों में परामर्श और सलाहकार सम्बन्धी गतिविधियां की जा सकें।

ई-विधान एप्लिकेशन

5.92 ई-विधान एप्लिकेशन 08-8-2022 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत में लॉन्च के उपरान्त, माननीय सदस्य सत्र की कार्यवाही को पढ़ने और कागज पर नियमित व्यवसाय करने के बजाय आईपैड का उपयोग करेंगे। अतः सदस्यों के लिए मॉक ट्रेनिंग भी आयोजित की गई थी।

परिवार पहचान पत्र

5.93 अंत्योदय परिवारों के लिए सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पायलट आधार पर बीपीएल कार्डों का स्वतः सृजन किया गया है, जिससे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की सक्रिय पहचान कर ली गई है। अंत्योदय परिवारों के लिए नए आयुष्मान भारत कार्डों का प्रो-एक्टिव निर्माण कर लिया गया है। जिन परिवारों की जाति परिवार पहचान पत्रों में सत्यापित हो चुकी है, उनके लिए एस.सी./बी.सी प्रमाण पत्र की काउंटर पर/ऑन लाईन डिलीवरी परिवार पहचान पत्र के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत किए गए 4 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये।

हरियाणा मुख्यमंत्री राहत कोष

5.94 इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाईन सेवा शुरू की गई। 1,600 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 2 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किया गया।

ऑटो अपील सिस्टम

5.95 इस स्कीम के तहत 32 विभागों की 372 सेवाएं पंजीकृत की गई हैं। अब तक 4.43 लाख से अधिक अपीलें दर्ज की गईं और 2.75 लाख अपीलों का निस्तारण किया गया है।

सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रेकर (एस.एम.जी.टी.)

5.96 सीएम सोशल मीडिया ट्विटर निवारण की शिकायतों पर नजर रखने के लिए नया इन-हाउस सिस्टम विकसित किया गया है।

ई-खरीद

5.97 जिसका उद्देश्य खाद्यान्न खरीद प्रक्रियाओं के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाना है। अब तक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 20 लाख गेट पास जारी किये जा चुके हैं और किसानों को अदायगी करने के लिए 63,000 करोड़ रुपये की अदायगी फाइलें बैंक को भेजी गई हैं।

जन सहायक एम-शासन पहल

5.98 सभी विभागों ने नागरिकों के लिए (जी2सी) सेवाओं को राज्यस्तरीय मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए हरियाणा ने गेटवे टू गवर्नमेंट की अवधारणा को नया रूप दिया है। यह नागरिकों को एक ही स्थल पर उपलब्ध करवाने की एक सरकारी पहल है तथा इसके द्वारा आपातकालीन हैल्पलाइन और अन्य सूचना सेवाएं दी गई हैं।

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान (एम.एम.ए.पी.यू.वाई.)

5.99 इस अभियान का उद्देश्य राज्य की ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है। परिवार पहचान पत्र आंकड़ा आधार (पीपीपी) में उपलब्ध आय विशेषताओं के आधार पहचान की गई है। अब तक मोबाइल एप के माध्यम से 1,37,543 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

अंत्योदय सरल

5.100 सरल ने पूर्णतः डिजिटाइजेशन के माध्यम से हरियाणा में नागरिक सेवा प्रदायगी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस समय हरियाणा

में 49 विभागों/बोर्डों/निगमों के अतिरिक्त 14 शस्त्र लाईसेंस सेवाओं की 648 राज्य सरकार से नागरिक (जी2सी) सेवाएं/स्कीमें सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

राज्य डाटा केंद्र का पुनरुद्धार

5.101 हरियाणा राज्य डेटा केन्द्र 2012 से संचालन है। राज्य स्तरीय संचालन समिति ने राज्य डाटा केन्द्र के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 265.86 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है।

हरियाणा सिविल सचिवालय और नये सचिवालय में एल.ए.एन.एस. का नवीनीकरण

5.102 दोनों सचिवालयों में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था। राज्य ने 8.40 करोड़ की लागत से स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क का नवीनीकरण करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

जिला मिनी सचिवालय में एल.ए.एन.एस. का नवीनीकरण

5.103 जिला मिनी सचिवालय में वर्ष 2007 में स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को सत्यापित किया गया था। सेवा वितरण में सुधार करने के लिए राज्य ने 42.4 करोड़ रुपये की लागत से लैस (एल.ए.एन.एस.) का नवीनीकरण शुरू कर दिया गया है।

एच.एस.वी.पी. आईटी प्रणाली का नवीनीकरण

5.104 हरियाणा के निवासियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, 42 सेवाओं को नागरिक केन्द्रित सेवाओं का फिर से नया स्वरूप लॉन्च किया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली

5.105 मानव संसाधन प्रबन्धन प्रणाली के अंतर्गत तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए 16 प्रमुख संवर्गों के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति पूरी कर ली गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए जरूरतों का आंकलन करने और अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्यप्रवाह आधारित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई है। समयबद्ध पारदर्शिता लाने के लिए कार्यप्रवाह

आधारित प्रणाली के माध्यम से ए.सी.पी. मामलों का अनुमोदन अनविर्य कर दिया गया है।

उत्तम बीज पोर्टल

5.106 यह पोर्टल एक साल पहले लॉन्च किया गया था। जिसे मेरी फसल मेरा ब्योरा (एम.एफ.एम.बी.) पोर्टल में जोड़ा गया था। कुल 459 उत्पादक और 18,971 किसान पंजीकृत किये गये हैं। किसानों को 63,885 क्विंटल बीज जारी किया गया।

ऑनलाइन प्रवेश

5.107 यूजी, पीजी और आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों के लिए पेपरलेस ऑनलाइन प्रवेश ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (ओसीईटी)-2022 के लिए बी-फार्मसी में प्रवेश के लिए कार्यप्रवाह आधारित समाधान विकसित और कार्यान्वित किया गया और स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग आई.टी.आई., विश्वविद्यालयों जैसे सभी प्रवेशों को पीपीपी से जोड़ दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों के दस्तावेज भी कम हो गए हैं।

हमारी पंचायत

5.108 राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.)-2020 के आम चुनाव कराने के लिए शुरू से अंत तक का समाधान किया गया है।

भू-अभिलेख

5.109 स्वामित्व, एच.एस.ए.एम.बी., हाउसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकायों, एच.एस.वी.पी., बिजली उपयोगिताओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ वेब-हेलरिस के एकीकरण के परिणामस्वरूप संपत्ति पंजीकरण में पारदर्शिता लाई गई है। शहरी स्थानीय निकाय व पंचायतों के लिए स्टाम्प ड्यूटी के 2 प्रतिशत हिस्से के हस्तांतरण को चालू कर दिया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

5.110 पी.डी.एस. प्रणाली को अप्रैल, 2022 से सिरसा और कुरुक्षेत्र के लिए परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के साथ एकीकृत किया गया है। इससे परिवार में किसी सदस्य के जन्म या मृत्यु के मामले में सदस्य को स्वतः शामिल करने और हटाने की सुविधा मिलती है।

हरियाणा आवास

5.111 सरकारी आवासों के आवंटन के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत एक नया ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जोकि पारदर्शी और शीघ्र आवंटन में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। कर्मचारी घर की पसन्द दे सकते हैं। वरिष्ठता सूची, वरिष्ठता सूची पर आपत्तियां, आवंटन सूची सभी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

सतर्कता सूचना प्रबन्धन प्रणाली

5.112 हरियाणा राज्य के सभी विभागों/ बोर्डों/निगमों से संबंधित शिकायतों, सतर्कता निकासी, छापे, स्रोत रिपोर्ट आदि की स्थिति की निगरानी के लिए सतर्कता सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

5.113 इलैक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लिए नई प्रणाली विकसित की गई। ई-ग्रास को पेट्टीएम के साथ एकीकृत किया गया है। कैशलेस मेडिकल और जीवन प्रमाण पोर्टल में एच.जी.पी.सी.एल. और एच.वी.पी.एन.एल., विश्वविद्यालयों के पेंशनरों के बोर्डिंग का प्रावधान किया गया है।

बेरोजगारी भत्ता

5.114 बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान रोजगार विभाग, हरियाणा (<https://hrex.gov.in>) विकसित और कार्यान्वित किया गया है। पंजीकृत अभ्यर्थी द्वारा रिक्तियों की सूचना एवं ऑनलाइन आवेदन प्रकाशित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। साथ ही नियोक्ता, योग्यता, अनुभव, नौकरी वरीयता आदि के आधार पर उम्मीदवार की खोज कर सकता है और नौकरी की पेशकश कर सकता है।

कैशलेस हरियाणा

5.115 हरियाणा कैशलेस समेकित पोर्टल विकसित और शुरू किया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य डिजिटल अदायगी को बढ़ावा देना और कम नकदी समाज का निर्माण करना है। अब तक 57,1.29 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किया जा चुका है।

बी1-लोअर स्कूल प्रवेश परीक्षा पोर्टल

5.116 यह अत्याधुनिक पोर्टल बिना चाबी की परीक्षा की तरह, वास्तविक समय के परिणाम, विषय स्तर पर प्रश्न बैंक रैंडमाइजेशन और कस्टम डैशबोर्ड के साथ उच्च मात्रा में सुरक्षा जैसी सुविधाओं के साथ दी गई हैं। यह परीक्षा प्रदेश भर में सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें 15,000 से अधिक (2018 बैच में 8,000+, 2019 बैच में 6,200+ और 2020 बैच में 5,405+) पुलिस अमले ने परीक्षा दी।

आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल

5.117 आजादी का अमृत महोत्सव पोर्टल आजादी के 75 साल और इस देश के लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। हरियाणा सरकार ने उसी स्तर (<https://akam.haryana.gov.in/>) पर एक राज्य पोर्टल भी विकसित किया है, जिसमें हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला शामिल है। भारती की स्वाधीनता जन भागीदारी की भावना से महोत्सव को जन-उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।

हरियाणा संस्कृत अकादमी पोर्टल

5.118 हरियाणा संस्कृत अकादमी पोर्टल राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों को मजबूत करने और अकादमी की गतिविधियों को नागरिकों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। संस्कृत साहित्य के संरक्षण एवं विकास तथा संस्कृत लेखकों के प्रोत्साहन एवं सम्मान के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध की गई है। संस्कृत जगत से जुड़े पाठकों और लेखकों को अकादमी की गतिविधियों, योजनाओं कार्यक्रमों, अकादमी पत्रिकाओं-हरिप्रभा और हरिवक के बारे में जागरूक किया जायेगा।

हरियाणा सी.आई.डी. डैशबोर्ड पोर्टल

5.119 यह पोर्टल (crdashboard.haryana.gov.in) हरियाणा पुलिस विभाग के लिए विकसित किया गया है, जिसे केवल सीमित संख्या में उपयोगकर्ताओं द्वारा सुरक्षित रूप से एक्सेस किया जायेगा। यह हरियाणा पुलिस के सी.आई.डी. विंग के लिए एक केन्द्रीकृत निगरानी प्रणाली है, जिसमें उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार मामलों को प्राथमिकता देने की सुविधा है। इसमें आवश्यकता के अनुसार वांछित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री के पास एक अलग दृष्टिकोण रखने की विशेषता भी है।

चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग पोर्टल

5.120 यह पोर्टल (<https://dmer.haryana.gov.in>) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग के लिए विकसित किया गया है, जिसको विभाग द्वारा सार्वजनिक डोमेन में भी सुरक्षित रूप से एक्सेस किया जाएगा। राज्य भर में प्रैक्टिस लाइसेंस/प्रमाण पत्र के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवश्यक मार्कशीट/डिग्री/प्रमाण पत्र आदि लाने के लिए डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया जा सकता है। उम्मीदवार के डिजी लॉकर खाते में प्रमाण पत्र/ लाइसेंस की उपलब्धता बनाई गई है। विभाग की आवश्यकताओं के लिए सामग्री प्रबंधन प्रणाली बनाई गई है।

उमंग

5.121 यह वर्ष 2018-19 से उमंग प्लेटफॉर्म पर सेवाएं देने वाला पहला राज्य है। प्रारंभ में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत विकसित राजस्व और आपदा प्रबंधन की 15 सेवाएं, परिवहन विभाग की 3 सेवाएं, पी.एच.ई.डी. की 5 सेवाएं और सरल स्थिति ट्रैकिंग की 2 सेवाएं उमंग पर शामिल थीं।

हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति

5.122 हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 उद्यमियों को अपना स्टार्टअप शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी

ढांचे में वृद्धि वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत 3,000 से अधिक स्टार्टअप को हरियाणा में इनक्यूबेट किया गया है। 14+ यूनिर्कॉर्न स्टार्टअप (कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डालर के मूल्यांकन के साथ) हरियाणा में स्थित है।

हरियाणा स्टेट डाटा सेंटर नीति

5.123 यह नीति उद्योग और कारोबारी माहौल मुहैया कराकर दुनिया के अग्रणी उद्यमियों को आकर्षित करने और हरियाणा में नए डाटा सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।

5जी सेवाएं

5.124 माननीय प्रधानमन्त्री द्वारा भारत में 5जी सेवाओं का शुभारंभ 1 अक्टूबर, 2022 को लॉन्च किया गया था। आज की तारीख में गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं। आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा राज्य में चरणबद्ध तरीके से 5जी सेवाएं शुरू की जाएंगी।

अन्य अनुप्रयोग

मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एम.एफ.एम.बी.) पोर्टल

5.125 किसानों द्वारा बोई गई फसल की सूचना सहित भूमि और बैंक खाते की जानकारी स्वयं देने के लिए एनआईसी हरियाणा द्वारा एमएफएमबी पोर्टल विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना सेवाएं (एम.एम.बी.बी.वाई.) पोर्टल

5.126 यह पोर्टल खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बागवानी किसानों द्वारा बीमा करवाने के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह पोर्टल अभी शुरू नहीं हुआ है।

अटल सेवा केन्द्र

5.127 राज्य में 22,500 अटल सेवा केन्द्र में 15,639 ग्रामीण क्षेत्रों में और 6,861 शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत किये गये हैं।

ई-कार्यालय

5.128 ई-कार्यालय क्रियान्वित किया गया है और आज तक 124 विभागों व क्षेत्रीय कार्यालयों सहित 22 जिलों के 22,287 कर्मचारी ई-कार्यालय पर काम कर रहे हैं। 9 लाख ई फाइल और ई-रिसिपिट्स सृजित की गई हैं और 25 लाख से अधिक ई-फाइलों और ई-रिसिपिट्स भेजी गई हैं।

आधार (यू.आई.डी.ए.आई.) सेवाएं

5.129 सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग, हरियाणा एक नोडल अभिकरण व समस्त आधार एयूए सेवाओं का प्रबंध करता है और राज्य के 25+ उप एयूए. विभागों की सहायता करता है और यू.आई.डी.ए. आई. द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों पर चलते हुए विभागों की क्षमता का निर्माण करता है।

मोबाइल एस.एम.एस. सेवाएं

5.130 एस.ई.एम.टी. सी.डी.ए.सी. के माध्यम से प्रदत्त सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग हरियाणा एस.एम.एस. गेटवे का प्रबंधन करता है और प्रयोगकर्ता विभागों के 70+ अनुप्रयोगों की आवश्यकता की पूर्ति की गई है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 करोड़ एस.एम.एस. इस गेटवे के माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।

एक बार पंजीकरण पोर्टल

5.131 वैब आधारित एकीकृत कार्य प्रवाह प्रणाली जिसमें आवेदक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया के माध्यम से चतुर्थ व तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों और अराजपत्रित शिक्षक के पदों के लिए एकमुश्त पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक इस पोर्टल पर 11.36 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

वाई-फाई हॉटस्पॉट सुविधा

5.132 ग्राम पंचायतों में 5,953 वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाकर यह सुविधा प्रदान की गई है और 85 प्रशासनिक/ऐतिहासिक/सांस्कृतिक स्थानों को यह सुविधा प्रदान की गई है।

इन्क्यूबेशन सेंटर्स/स्टार्टअप हब

5.133 गुरुग्राम में 1,20,000 वर्ग फुट क्षेत्र पर एक नवाचार एवं स्टार्टअप हब पूर्णतः संचालित है। इसमें विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप परिस्थिति हितधारकों, जिसमें नेटकाम सेंटर ऑफ एकसीलेंस फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (सी.ओ.ई.-आई.ओ.टी.) की सुविधाएं प्रदान करता है।

डिजिटल लॉकर

5.134 डिजिटल लॉकर को अपनाने में हरियाणा सरकार अग्रणी है। इस समय भारत सरकार की डिजिटल लॉकर सेवा के माध्यम से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का डिजिटल तरीके से सत्यापन के लिए 9 विभागों के 26 दस्तावेज उपलब्ध हैं।

कार्य प्रवाह आधारित बीपीएल पात्रता पोर्टल

5.135 यह पोर्टल गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के नागरिकों को अपना आवेदन भेजने में सहायता करता है। अब तक इस पोर्टल पर 9.72 लाख बीपीएल पंजीकरण किये जा चुके हैं।

भारत नेट

5.136 भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत भारत ब्राड बैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी.बी.एन.एल.) भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ने हरियाणा राज्य की 6,204 ग्राम पंचायतों को सेवा तैयार घोषित किया है।

सेंटर ऑफ एकसीलेंस फॉर ब्लॉक चैन

5.137 हरियाणा सरकार एस.टी.पी.आई. गुरुग्राम में 10,000 वर्ग फुट में अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त ब्लॉक चैन प्रौद्योगिकी के लिए एक सेंटर ऑफ एकसीलेंस स्थापित करने जा रही है। एस.टी.पी.आई. और राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है।

पैंशनभोगी सत्यापन मोबाइल ऐप

5.138 पैंशनभोगी सत्यापन मोबाइल ऐप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर लाभार्थियों को

उनके सत्यापन के बाद पेंशन के सक्रिय वितरण के लिए विकसित किया गया है।

आय सत्यापन मोबाइल ऐप

5.139 आर.आई.डी. द्वारा निष्पादित परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) के सफल कार्यान्वयन के लिए आय सत्यापन ऐप विकसित किया गया है। जिसका उपयोग पारिवारिक आये के सत्यापन के लिए किया जा रहा है।

कौशल विकास

5.140 भारत सरकार ने नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है, जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की शृंखला के अनुसार योग्यता का आयोजन करता है। इन स्तरों को सीखने के परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जो शिक्षार्थी के पास होना चाहिए। अग्रिम चरण में हारट्रॉन ने व्यापक स्वीकार्यता के लिए अपने देशों की एन.एस.क्यू.एफ. संरक्षण के महत्व का विश्लेषण किया और इसके प्रमाणपत्रों की मान्यता में वृद्धि की और तदनुसार एन.एस.क्यू.एफ. संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी एन.एस.क्यू.एफ. को अपने पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। एन.एस.डी.ए. द्वारा जांच के बाद राष्ट्र कौशल योग्यता समिति ने हारट्रॉन पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में 17 हारट्रॉन पाठ्यक्रम एन.एस.क्यू.एफ.) के साथ संरेखित है। ये पाठ्यक्रम एक राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर में पंजीकृत है जो एन.एस.क्यू.एफ. से जुड़ी सभी योग्यताओं का एक अधिकारिक राष्ट्रीय सार्वजनिक रिकॉर्ड है। इन पाठ्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में हर साल लगभग 25,000-30,000 उम्मीदवार नामांकित होते हैं। इसके अलावा, हारट्रॉन को अब नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सरकार द्वारा अवार्डिंग बॉडी एंड असेसमेंट एजेंसी के रूप में भी मान्यता दी गई है। भारत की पुरस्कार देने और मूल्यांकन गतिविधियों को करने वाली संस्थाओं के लिए एम.एस.डी.ई. के निर्धारित दिशानिर्देश और परिचालन नियमावली है। प्रमाणन गुणवत्ता की मान्यता व पूरे भारत के

बाजार में इसकी स्वीकार्यता की वजह से उम्मीदवारों के रोजगार की क्षमता में वृद्धि हुई है। एन.सी.वाई.ई.टी. मान्यता के लाभ इस प्रकार है कि सरकार द्वारा मान्यता, भारत की युनिफॉर्म पैन इंडिया प्रमाणन और गुणवत्ता की मान्यता, सरकारी वित्त पोषण के लिए पात्रता, बाजार की स्वीकार्यता और मान्यता में वृद्धि।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल

5.141 हारट्रॉन ने अपनी सी.एस.आर. गतिविधि के तहत अक्टूबर, 2015 में सार्थक एजूकेशन ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया है, यह गतिविधि विकलांग लोगों को कौशल और रोजगार के अवसर सृजन के माध्यम से सम्मान और समानता के साथ अपना जीवन जीने में सक्षम बनाने की दिशा में निर्देशित है। दिसंबर, 2022 तक कुल 1,600 से अधिक दिव्यांगजनों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है और लगभग 1,100 से अधिक दिव्यांगजनों को रोजगार मेलों और अन्य रोजगार प्लेटफार्मों के माध्यम से सफलतापूर्वक रोजगार मिल गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 243 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। 182 ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। 61 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कुल 92 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया है।

हारट्रॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप हब गुरुग्राम

5.142 हारट्रॉन ने बौद्धिक ज्ञान पर आधारित उद्यमिता और अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में हरियाणा के नवाचार और उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में एक अत्याधुनिक नवाचार और स्टार्टअप हब की स्थापना की है। पिछले चार वर्षों के संचालन में 99 स्टार्टअप्स को हब में भौतिक रूप से इनक्यूबेट किया गया है और लगभग 312 स्टार्टअप्स को वस्तुतः तैयार किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में और अब तक 53 स्टार्टअप्स को भौतिक और आभासी मोड के माध्यम से हब से इनक्यूबेट/मेंटर किया जा रहा है। स्टार्टअप नए युग की नई उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे ए.आई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, ए.आर./वी.आर. ब्लॉकचेन, बिग डेटा

स्वास्थ्य, कृषि, जल, परिवहन, ऊर्जा, स्मार्ट विनिर्माण आदि के क्षेत्रों इत्यादि पर काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान

संचालन का दूसरा चरण हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (एच.ई.ई.पी.)-2020 में प्रावधान के अनुसार शुरू किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

5.143 राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 1983 में स्थापित होने के बाद से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उत्थान में मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। पहले इसके संरक्षण में दो संस्थाएं काम कर रही थी, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् तथा हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार। अब हरियाणा राज्य अन्तरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसैक), हिसार का एक नया विभाग नागरिक संसाधन सूचना विभाग हरियाणा में हस्तांतरण, हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 120-2020/Ext. दिनांक 25 अगस्त, 2020 द्वारा किया जा चुका है। हरियाणा में अधिक से अधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मूल विज्ञान विषय लेने के लिए आकर्षित करने तथा अपना कैरियर बनाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कई प्रोत्साहनों की पहल की है। मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं:-

- **विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले छात्रवृत्ति स्कीम**-इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर मूल विज्ञान व प्राकृतिक विज्ञान विषयों में पढ़ाई करने वाले 250 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्नातक छात्रों को 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा स्नातकोत्तर छात्रों को 6,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 से आज तक 2,505 विद्यार्थियों को लगभग 2,956.26 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां दी गई हैं।
- **हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना**- इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम नम्बरों के आधार पर विद्यार्थियों को 1,500 रुपये (1,250 छात्र हरियाणा शिक्षा बोर्ड के तथा 250 छात्र सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. बोर्डों के) का छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाता है।

हरियाणा विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा स्टेज-I परीक्षा जो की 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एस.सी.ई.आर.टी. गुरुग्राम द्वारा आयोजित की जाती है, चयनित छात्रों को जो कि 11वीं व 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ेंगे उनको 1,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी।

- **पी.एच.डी. छात्रों के लिए फेलोशिप स्कीम**- फेलोशिप कार्यक्रम जूनियर रिसर्च फेलोशिप जे.आर.एफ. के लिए संयुक्त सी.एस.आई. आर-यू.जी.सी परीक्षण और एन.टी.ए. द्वारा आयोजित व्याख्यान माला की पात्रता पर आधारित है। जिन उम्मीदवारों ने जे.आर.एफ. नेट (सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी) में उतीर्ण किया है उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी के समकक्ष फेलोशिप दी जाएगी, यदि वे किसी वैध कारण से सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी से फेलोशिप नहीं ले रहे हैं, यानि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 31,000 रुपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 35,000 रुपये प्रतिमाह। जिन उम्मीदवारों ने एल.एस-नेट क्वालिफाईड किया है, उन्हें सी.एस.आई.आर./यू.जी.सी दोनों के लिए मौजूदा दरों पर सी.एस.आई.आर. के लिए परैफरेंस दी जाएगी, यानि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह और सीनियर रिसर्च फेलो के लिए 21,000 रुपये प्रतिमाह। फेलोशिप में 20,000 रुपये का वार्षिक आकस्मिक अनुदान होगा जो विश्वविद्यालय/संस्थान को प्रदान किया जाएगा।

5.144 आमजन और विद्यार्थियों में खगोलशास्त्र के प्रति जागरूकता लाने व वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से, कल्पना चावला स्मारक तारामण्डल, हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के

अधीन कार्य कर रहा है। तारामण्डल का उद्घाटन हरियाणा की बहादुर बेटी डॉ. कल्पना चावला की याद में 24 जुलाई, 2007 को किया गया था। तारामण्डल का गुम्बद 12 मीटर व्यास में 120 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की क्षमता के लिए बनाया गया है। तारामण्डल में अंग्रेजी और हिंदी में

खगोल विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों को चलाया जाता है। दीर्घा व एस्ट्रोपार्क, तारामण्डल के दो अन्य आकर्षण हैं जिनमें खगोल से सम्बंधित प्रादर्शनी लगाई गई हैं। वर्षवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका 5.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15 में वर्षवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण

वर्ष	कुल दर्शक (लाख रुपये)	कुल राजस्व (लाख रुपये)
2014-15	1,35,720	29,26,570
2015-16	1,39,845	31,92,755
2016-17	1,42,443	32,91,595
2017-18	1,35,293	30,97,405
2018-19	1,35,490	28,59,765
2019-20	1,29,361	26,17,945
2020-21	14,829	3,88,690
2021-22	44,341	5,49,685
2022-23 (upto 31.11.2022)	54,421	5,93,755

स्रोत:- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा।
